अनियमितता | पंजीयन से लेकर ऑडिट तक अनियमितताएं

फर्जी एफडीआर पर मिले उपार्जन में एफपीओ कर गए खेल

नवभारत,जबलपुर। जिले में पिछले दो वर्षों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर उपार्जन व्यवस्था में गड़बड़ियों के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब तक प्रशासन की कार्रवाई मुख्य रूप से सहकारी समितियों तक सीमित रही, जबकि इसी दौरान फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन (एफपीओ), स्वयं सहायता समूह और संकुल स्तरीय समूहों द्वारा करोड़ों रुपये के गोलमाल के आरोप सामने आने लगे हैं।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उपार्जन कार्य के लिए निर्धारित सुरक्षा राशि के रूप में एफडीआर जमा करना अनिवार्य था, लेकिन अधिकांश एफपीओ द्वारा कथित तौर पर फर्जी एफडीआर जमा करने का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि

खाद्य विभाग और संबंधित एजेंसियों ने इन दस्तावेजों का समुचित सत्यापन किए बिना ही कागजी प्रक्रिया के आधार पर इनको उपार्जन की जिम्मेदारी सौंप दी थी।

दूसरे जिलों के कागजों पर खड़े किए एफपीओ

सूत्रों के अनुसार कई एफपीओ को उपार्जन कार्य के लिए कागजी तौर पर तैयार कर दूसरे जिलों से जोड़ा गया था। इनके पंजीयन, ऑडिट और वित्तीय लेनदेन से जुड़े दस्तावेजों में भी कई तरह की अनियमितताओं की बात सामने आ रही है। अगर इस मामले में निष्पक्ष जांच होती है तो कई गड़बड़ियां उजागर हो सकती हैं।

जमा दस्तावेज भी फर्जी होने की आशंका

सूत्रों के मुताबिक खाद्य विभाग में जमा किए गए कई दस्तावेज फर्जी या कूटरचित होने की आशंका जताई जा रही है। मामले में किसानों के अंशधन, लाभ वितरण, संदिग्ध खातों में राशि ट्रांसफर, फर्जी ऑडिट रिपोर्ट और बैलेंस शीट जैसी अनियमितताओं की भी चर्चा है। बताया जा रहा है कि इन तथ्यों से जुड़े विस्तृत दस्तावेज जिला प्रशासन को सौंपे गए हैं और फिलहाल आंतरिक जांच जारी है।

जवाब पेश नहीं करने पर दस हजार की कॉस्ट

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने एक मामले में पिछले तेरह वर्षों से जवाब पेश नहीं करने पर सरकार पर कड़ी नाराजगी जतायी। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने अंतिम मोहलत देने के बावजूद भी जवाब पेश न किये जानें को आड़े हाथों लेते हुए दस हजार रुपए की कॉस्ट लगाई। एकलपीठ ने उक्त राशि मप्र हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के खाते में जमा कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही न्यायालय ने कहा है कि इसकी भरपाई मामले के ओआईसी से की जाए। एकलपीठ ने कहा कि यदि अगली सुनवाई तक जवाब नहीं आया तो कलेक्टर बैतूल को हाजिर होना पड़ेगा। बैतूल की मां बंजारी स्व-सहायता समूह की अध्यक्ष निर्मला बाई की ओर से अधिवक्ता अजय रायजादा ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता स्कूलों में मध्यान्ह भोजन की आपूर्ति करती थी। तत्कालीन कलेक्टर ने मई 2008 में उक्त कार्य आवंटित किया था। दरअसल, एक जनप्रतिनिधि की शिकायत पर याचिकाकर्ता की जांच की गई।

नवविवाहिता की मौत पर 3 घंटे हाईवे पर चकाजाम

टेंट लगाकर धरने पर बैठा मायका पक्ष, ससुराल पक्ष पर कार्रवाई पर अड़ा

जबलपुर। नवविवाहिता की संदिग्ध मौत के विरोध में मायका पक्ष गुरुवार को कटंगी-पाटन मार्ग पर टेंट लगाकर धरने पर बैठ गया और ससुराल पक्ष पर कार्रवाई की मांग पर अड़ गया । करीब तीन घंटे तक हाइवे पर धरना प्रदर्शन चलता रहा। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पर पहुंच गए और आक्रोशित परिजनों समझाइश दी जिसके बाद परिजन माने और प्रदर्शन समाप्त हो गया।

जानकारी के मुताबिक कैमोरी कटंगी निवासी पूजा साहू की शादी 6 फरवरी को लार्डगंज थाना क्षेत्र निवासी निखिल साहू से हुई थी। 19 फरवरी को पूजा अपने पति, सास, ससुर और ननद के साथ उज्जैन गई थी। 20 फरवरी को उज्जैन में उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। 21 फरवरी की सुबह उज्जैन से लौटते वक्त पूजा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इस मामले की शिकायत पीड़ित परिवार ने पूर्व में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में की थी साथ ही कार्रवाई की मांग की थी। गुरूवार को परिजनों ने कटंगी-पाटन मार्ग पर टेंट लगाया और कार्रवाई न होने से गुस्से में आकर धरने पर बैठ गए । परिजनों का कहना है कि शादी के समय दहेज के रूप में चार लाख रुपये दिए गए थे और बाकी छह लाख रुपये बाद में देने की बात तय हुई थी। दस लाख रुपये की मांग पूरी न होने के कारण उनकी बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा था। उन्हें ने महिला की मौत का जिम्मेदार ससुराल पक्ष को बताया है। कार्रवाई होने के चलते उन्होंने चक्काजाम किया ।

तेंदूखेड़ा पुलिस कर रही है जांच

टीआई पूजा उपाध्याय ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और परिजनों को समझाइश दी। परिजनों को बताया कि महिला की मौत तेंदूखेड़ा नरसिंहपुर में रास्ते में मौत हुई थी । मायका जरूर उनके थाना अंतर्गत आता है लेकिन घटना तेंदूखेड़ा है और वहां की पुलिस मामले की जांच भी कर रही है । जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। पुलिस की समझाइश के बाद परिजनमाने और प्रदर्शन समाप्त किया ।

कलयुगी बेटे ने कर दी मां की हत्या

महज खाना नहीं परोसने पर की वारदात, आरोपी गिरफ्तार

जबलपुर। कुंडम थाना अंतर्गत जमुनिया बदरिया गांव में महज खाना न परोसने की बात पर हुए विवाद में कलयुगी पुत्र ने मां की हत्या कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस, एफएसएल टीम मौका-ए-वारदात पर पहुंच गई और छानबीन करते हुए हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपित पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है ।

टीआई सतीश कुमार अंधवान ने बताया कि श्याम सिंह मरावी 50 वर्ष निवासी ग्राम बंदरिया खेती किसानी करता है उसके 2 पुत्र एवं 1 पुत्री है, पुत्र बसोरी मरावी एवं पुत्री प्रीति मरावी दिमागी रूप से ठीक नहीं हैं, बीती रात करीब 11 से 12 बजे के बीच पुत्र दीपक

मरावी पहुंचा और मां जमुना बाई मरावी 50 वर्ष से खाना मांगा। खाना देने से मना करने पर दीपक आगबबूला हो गया। विवाद के दौरान आरोपी ने घर में मौजूद फरसा से अपनी मां पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई और उनकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपित दीपक सिंह मरावी 24 वर्ष को हिरासत में ले लिया है।

पिता से बोला मां खाना नहीं दे रही थी इसलिए मार डाला

सूचना पर पहुंची पुलिस को श्याम सिंह ने बताया कि बुधवार को वे काम से प्रेमसागर गया था, रात लगभग 8 बजे गांव वापस आया था लेकिन घर नहीं गया था गांव के इंदर सिंह के घर में खाना खाकर खेत चला गया था। गुरूवार सुबह लगभग 5 बजे घर आकर पत्नी को आवाज दिया, पत्नी कुछ नहीं बोली, अंदर आकर देखा तो कमरे में पत्नी जमुना बाई साड़ी से ढकी हुई थी एवं बेटी प्रीति बगल में बैठी थी उसने पत्नी पर ढकी हुई साड़ी उठाकर देखा पत्नी के चेहरे पर गम्भीर चोट होकर खून निकल रहा था दूसरे कमरे में उसका पुत्र दीपक मरावी बैठा था। उसने दीपक से पूछा कि पत्नी जमुना बाई को किसने मारा तो दीपक बोला कि मॉं को मैंने ही मारा है उसने मारने का कारण पूछा तो दीपक ने कहा कि मॉं खाना नहीं दे रही थी, इसलिये मार डाला।

सौतेली मां ने फर्जी तरीके से जमीन का करा लिया नामांतरण

तहसीलदार- पटवारी पर मिलीभगत के लगे आरोप

नवभारत,जबलपुर। ग्राम खमरिया के रहने वाले युवक ने अपनी सौतेली मां पर फर्जी तरीके से जमीन का नामांतरण करने की शिकायत कलेक्टर से की है, इसके अलावा तहसीलदार एवं पटवारी की मिलीभगत से ही नियम विरुद्ध तरीके से नामांतरण किए जाने के आरोप लगाए हैं। जानकारी के अनुसार खमरिया निवासी मदन कुमार चौधरी ने बताया कि मदन कुमार चौधरी ने बताया कि उनकी ग्राम बटई, पडरिया में लगभग चार एकड़ जमीन है। जिसका नामांतरण उसकी सौतेली मां कौशल्या बाई चौधरी ने फर्जी कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर करा लिया है। जिसमें तहसीलदार और पटवारी सहित कई कर्मचारियों की मिलीभगत भी शामिल हैं, जिन्होंने नियम विरुद्ध तरीके से यह पूरी प्रक्रिया की है।

एक ही आदेश में कर दिए नामांतरण और बंटवारा

पीड़ित ने बताया कि करीब तीन महीने पहले उन्हें वकील के माध्यम से जानकारी मिली कि उनकी जमीन का नामांतरण उनकी सौतेली मां के नाम पर कर दिया गया है। इसके अलावा 23 जनवरी 2025 को मकान में भी उनके सौतेली मां का नाम जुड़वाया गया। पीड़ित ने कहा कि यह सभी कार्य एक ही आदेश में किए गए और रजिस्टर्ड भूमि का बंटवारा भी उसी आदेश में किया गया, जिसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। उनका कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया नियमों के विरुद्ध हुई है और इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से प्रकाशित एवं नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharatjabalpur@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RNI Reg No.1537/57